क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–191/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स स्टोन मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पैरा मगरा गणेशपुरा क्वार्टज एवं फैल्सपार खनिज खनन परियोजना, खनन पटटा संख्या 08/1995, कुल खनन क्षेत्रफल–136 हैक्टेयर, कुल उत्पादन क्षमता–245092.8 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम गणेशपुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर** से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **मैसर्स स्टोन मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड ने** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार लोक सुनवाई आवश्यक है।
3. उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः–
    1. प्रभाव आंकलन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
    2. इन्टीग्रेटेड क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जयपुर।
    3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
    4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
    5. तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
    6. सहायक खनिज अभियंता, खान व भू–विज्ञान विभाग, सावर, जिला अजमेर।
    7. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पारा, तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2022/10314–323 दिनांक 20.08.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 28/09/2022** को **दोपहर 01:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पारा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तॅवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी